कार्यालय, आयुक्त, देवस्थान विभाग राजस्थान, उदयपुर (राज.)

दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2018

वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेन एवं हवाई जहाज द्वारा निःशुल्क तीर्थ यात्रा

—: रेल यात्रा हेतु तीर्थ स्थान :—

1. रामेश्वरम् 2. तिरुपति, 3. जगन्नाथपुरी, 4. द्वारकापुरी, 5. वैष्णोदेवी

तीर्थ यात्रा (रेल) का सामान्य प्रस्थान स्थलः—	जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर

—: हवाई यात्रा हेतु तीर्थ स्थान :—

क्र. सं.	तीर्थ स्थान का नाम	क्र. सं.	तीर्थ स्थान का नाम
1	रामेश्वरम्, मीनाक्षी मंदिर-मदुरई	10	सम्मेद शिखर-गया-बोधगया/पटना-पावापुरी-कुण्डलपुर (वैशाली)
2	तिरुपति, श्रीपुरम लक्ष्मी स्वर्णमंदिर-वेल्लोर तथा कांचीपुरम	11	गोवा
3	जगन्नाथपुरी, लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर, सूर्य मंदिर-कोणार्क	12	शिरडी- शनि सिंगनापुर- त्रयम्बकेश्वर-घृष्णेश्वर, अजन्ता-एलोरा
4	वैष्णोदेवी	13	कामाख्या-गुवाहाटी (राज्य संग्रहालय, कलाक्षेत्र)
5	द्वारकापुरी, सोमनाथ, नागेश्वर	14	उज्जैन (महाकालेश्वर, काल भैरव मंदिर, हरसिद्धि, नवग्रह मंदिर)-ओंकारेश्वर
6	प्रयाग (इलाहाबाद)-चित्रकूट-वाराणसी (काशी), सारनाथ	15	हरिद्वार-ऋषिकेश-मसूरी-देहरादून
7	बिहार शरीफ, (नालंदा)-राजगीर-गया-बोधगया-पटना साहिब	16	कोच्चि, त्रिशूर, श्री सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर, गुरुवायुर
8	अमृतसर-आनंदपुर साहिब	17	लखनऊ-अयोध्या
9	श्रवणबेलगोला-मैसूर		
तीर्थयात्रा (हवाई जहाज) का सामान्य प्रस्थान स्थल :—		जयपुर, जोधपुर, उदयपुर	

—: तीर्थ यात्रा आयोजन हेतु विशेष निर्देश :—

किसी तीर्थ स्थल पर यात्रा का आयोजन आवेदकों की पर्याप्तता तथा यात्रा साधन में स्थान की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। यदि किसी स्थान के लिए यात्रा संभव नहीं हो पाती तो आवेदक के विकल्प में से अन्य विकल्प लेकर यात्रा आयोजित की जा सकेगी। इसी प्रकार आवश्यकतानुसार तीर्थ यात्रा का सामान्य प्रस्थान स्थल भी परिवर्तित किया जा सकेगा।

हवाई यात्रा राजस्थान के किसी निर्धारित एयरपोर्ट से की जाएगी। यदि किसी कारण गन्तव्य तीर्थस्थल की समुचित कनेक्टिविटी राजस्थान से नहीं बैठ पाती तो बीच में किसी अन्य एयरपोर्ट से गन्तव्य तीर्थस्थल की हवाई यात्रा कराई जाएगी, परन्तु उस अन्य एयरपोर्ट तक राजस्थान के एयरपोर्ट से हवाई यात्रा द्वारा ही लाए जाने व पहुंचाए जाने की व्यवस्था वेन्डर द्वारा की जाएगी।

यदि हवाई यात्रा या रेल यात्रा में किसी कारणवश किसी रूट की वह यात्रा संभव नहीं हो पाती, तो उसमें आवेदक से यात्रा माध्यम परिवर्तित किए जाने का विकल्प लेकर नियमानुसार पात्रता के अंतर्गत यात्रा माध्यम परिवर्तित किया जा सकता है।

-:तीर्थ यात्रा हेतु पात्रता:-

1. राजस्थान का मूल निवासी हो।
2. आयकर दाता न हो।
3. इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में यात्रा न की हो,
4. भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नही होंगे।
5. यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग तथा टी.बी., श्वांस में अवरोध संबंधी बीमारी, कांजेस्टिव कार्डियक, Coronary अपर्याप्तता, Coronary thrombosis, मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रस्त न हो,
6. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम/स्थानीय निकाय से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी व उनके जीवनसाथी यात्रा के पात्र नहीं होंगे।
7. दिनांक 1 अप्रैल, 2018 को 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति यात्रा हेतु पात्र होंगे।

-:तीर्थ यात्रा हेतु आवेदन की प्रक्रिया:-

1. आवेदन देवस्थान विभाग के पोर्टल पर दिये गये लिंक के माध्यम से केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किए जाएंगे।
2. आवेदक व उसके साथ जाने वाले सहायक दोनों के पास भामाशाह कार्ड अवश्य होना चाहिए।
3. ऑनलाईन आवेदन व भामाशाह कार्ड हेतु संबंधित पोर्टल से फार्म भरा जा सकता है। ई-मित्र केन्द्र पर भी ये सुविधाएं उपलब्ध हैं।
4. आवेदन पत्र में अपनी पसंद की तीन तीर्थ-स्थल वरीयता क्रम (Preference) में अंकित किया जाए।
5. आवेदन के उपरांत उसकी प्रिंटेड प्रति सुविधा हेतु रख लें।

नोट :- आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन से पूर्व भामाशाह कार्ड हेतु पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण भरकर लें। इससे आवेदक को फोटो व दस्तावेज अपलोड करने व अन्य विवरण भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

आवेदन की अवधि :-	दिनांक 10 मई, 2018 से 10 जून, 2018 तक

—: अन्य मुख्य शर्तें व प्रावधान :—

1. आवेदक को आवेदन में किन्ही दो नाम निर्देशितियों के नाम, मोबाईल नंबर एवं अन्य विशिष्टियों का विवरण भी देना होगा, जिनसे किसी आपात स्थिति में उनसे तुरन्त संपर्क किया जा सके। समस्त सूचना वेबसाईट के अतिरिक्त मोबाईल फोन पर एसएमएस अथवा कॉल से दी जाएगी।
2. 70 वर्ष या अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति जिसने अकेले रेल यात्रा करने हेतु आवेदन किया है, को अपने साथ सहायक को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी। सहायक का यात्री का संबंधी होना आवश्यक नही हैं। हवाई जहाज से यात्रा करने के इच्छुक व्यक्ति के साथ सहायक यात्रा पर जाने का पात्र नही होगा। सहायक की आयु 21 वर्ष से 50 वर्ष होगी।
3. पति/पत्नी के साथ-साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी।
4. आवेदक के जीवनसाथी की आयु 60 वर्ष से कम होगी, तब भी आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगा/सकेगी।
5. आवेदन करते समय ही आवेदक को यह बताना होगा कि उसका जीवन-साथी/सहायक भी उसके साथ यात्रा करने का इच्छुक है।
6. सहायक को यात्रा पर ले जाने की दशा में उसे भी उसी प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी, जो कि यात्री को अनुज्ञेय है।
7. यात्रियों का चयन जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर द्वारा लॉटरी द्वारा किया जाएगा। लॉटरी में जिलेवार आवेदकों की संख्या तथा वरिष्ठ नागरिकों के अनुपात के आधार पर जिला विशेष का कोटा निर्धारित किया जाएगा। चयनित यात्रियों की सूची जिला मुख्यालय एवं उपखण्ड मुख्यालय तथा देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
8. चयनित यात्री को यात्रा से पूर्व स्वास्थ्य संबंधी निर्धारित चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेना होगा।
9. चयन के उपरान्त यदि किसी कारणवश आवेदक तीर्थयात्रा नहीं करता, तो उसे विभाग द्वारा निर्धारित हेल्पलाईन पर समय से पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी, अन्यथा उसे भविष्य में इस योजना हेतु पात्र नहीं माना जावेगा।

नोट :- योजना व प्रक्रिया का विस्तृत विवरण देवस्थान विभाग की वेबसाईट **www.devasthan.rajasthan.gov.in** से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदक आवेदन से पूर्व उनका समुचित अध्ययन कर लें।

डीआईपीआर/सी/5825/2018